



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 8690 सन् 2025

रेणु सिंहयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृपा शंकर पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. यह रिट याचिका निरस्त (खारिज) की जाती है।
2. आदेश हेतु, रिट-ए संख्या 4500 सन् 2023 (प्रमुख वाद) में पारित आदेश दिनांक को देखें।

जनवरी 28, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"